भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3232

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

विधिक सेवा क्लीनिक

3232. श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिकों का ओडिशा सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त विधिक सेवा क्लीनिकों के संचालन में शामिल छात्रों की ओडिशा सहित राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन विधिक सेवा क्लीनिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ;

(घ) यदि हां, तो ओडिशा सहित राज्य-वार और जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : जून 2022 तक विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या के साथ इन क्लिनिकों में कार्य करने में शामिल छात्रों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे उपाबंध-क पर है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 में राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा क्लिनिकों को आर्थिक अनुदान प्रदान करने का कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है । तथापि, कुछ मामलों में नालसा विधिक सहायता निधि के माध्यम से अनावर्ती व्यय के रुप में कंप्यूटर और फर्नीचर जैसी आधारभूत अवसंरचनाएं प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त, विधिक सहायता क्लिनिकों में नियुक्त किए गए पैनल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंसेवी को क्रमशः 500 रू0 प्रतिदिन और 250 रू0 प्रतिदिन की दर पर मानदेय संदत्त किया जाता है ।

****

उपाबंध-क

श्री पिनाकी मिश्रा, संसद सदस्य द्वारा विधिक सेवा क्लीनिक के संबंध में उठाए गए, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3232 जिसका उत्तर तारीख 05.08.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।			
विश्वविद्यालयो, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या के साथ इन क्लिनिकों में कार्य करने में शामिल छात्रों की संख्या के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण			
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम**	**जून, 2022 तक विश्वविद्यालयों विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या**	**इन विधिक सेवा क्लिनिकों के कार्य करने में शामिल छात्रों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	34	194
2	अरुणाचल प्रदेश	3	5
3	असम	25	675
4	बिहार	54	66
5	छत्तीसगढ़	16	71
6	गोवा	10	408
7	गुजरात	128	1105
8	हरियाणा	31	626
9	हिमाचल प्रदेश	28	16
10	जम्मू-कश्मीर	23	77
11	झारखण्ड	7	268
12	कर्नाटक	139	960
13	केरल	25	1923
14	मध्य प्रदेश	391	489
15	महाराष्ट्र	74	441
16	मणिपुर	3	0
17	मेघालय	4	830
18	मिजोरम	नहीं	शून्य
19	नागालैंड	4	19
20	ओडिशा	47	554
21	पंजाब	37	129
22	राजस्थान	93	शून्य
23	सिक्किम	2	88
24	तमिलनाडु	24	293
25	तेलंगाना	19	143
26	त्रिपुरा	3	30
27	उत्तर प्रदेश	256	2669
28	उत्तराखंड	68	107
29	पश्चिमी बंगाल	148	399
30	अंदमान और निकोबार दीव	1	26
31	चंडीगढ़	3	178
32	दादरा और नागर हवेली	1	शून्य
33	दमण और दीव	दमण और दीव जिले में कोई विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं है ।	0
34	दिल्ली	5	52
35	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
36	लद्दाख	शून्य	शून्य
37	पुडुचेरी	9	9

****